

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/e-GRAS-22/654-1053 दिनांक 13/4/2022

परिपत्र

विषय:- ऑनलाईन जमा हुए राजस्व के चालानों को विभाग द्वारा डीफेस किए जाने के पश्चात रिफण्ड के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान का परिपत्र दिनांक 01.11.2012, 10.09.2013 एवं पत्रांक 6899-7398 दिनांक 02.02.2016

ई-ग्रास पर जमाकर्ताओं को रिफण्ड में लगने वाले समय को कम करने एवं रिफण्ड प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए डीफेस किए हुए चालानों की राशि रिफण्ड (पूर्ण अथवा आंशिक) किए जाने हेतु संदर्भित पत्रांक 6899-7398 दिनांक 02.02.2016 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में डीफेस हटवाने के लिए विभागाध्यक्ष को अधिकृत करते हुए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. डीफेस किए हुए चालान की राशि (पूर्ण अथवा आंशिक) के रिफण्ड हेतु जमाकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रकरण की पूर्ण जाँच कर ऐसे चालान पर अंकित डीफेस वाटर मार्क हटवाने (पूर्ण अथवा आंशिक) हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा ऑनलाइन विभाग के वरिष्ठतम लेखाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
2. विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाधिकारी प्रकरण की जाँच कर डीफेस रिलीज के संबंध में अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित विभागाध्यक्ष को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।
3. विभागाध्यक्ष अपने एच.ओ.डी. लॉगिन में डीफेस रिलीज हेतु उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप डीफेस रिलीज करने की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा हटाये गए चालान डीफेस की रिपोर्ट सिस्टम पर संबंधित कोषाधिकारी/ई-कोषाधिकारी को एवं संबंधित विभाग को उपलब्ध होगी।
5. विभागाध्यक्ष द्वारा हटाये गए डीफेस का अंकन चालान की प्रति पर वाटर मार्क के साथ दिया जाएगा।

उक्तानुसार चालानों के डीफेस रिलीज संबंधी नवीन प्रक्रिया दिनांक 01.06.2022 से प्रभावी होगी।

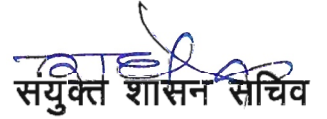
(सुधीर कुमार शर्मा)

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/e-GRAS-22/654-1053 दिनांक 13/4/2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
5. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर
8. ई-कोषाधिकारी, ई-कोषालय, वित्त भवन, जयपुर
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डीफेस रिलीज के संबंध में उक्त नवीन प्रक्रिया को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रावधान दिनांक 31.05.2022 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।


संयुक्त शासन सचिव